निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

19 चैत्र 1937 (शo)

(सं0 पटना 457) पटना, वृहस्पतिवार, 9 अप्रील 2015

जल संसाधन विभाग

————————

अधिसूचना

9 मार्च 2015

सं0 22/नि0सि0(मोति0)–08–07/2013/579––श्री सतीश प्रसाद सिंह (आई0 डी0 3929), तत्कालीन अवर प्रमंडल पदाधिकारी, अवर प्रमंडल सं0–01, चम्पारण प्रमंडल, मोतिहारी के विरूद्ध पी0 डी0 रिंग बॉध पर घोड़हिया स्थल पर कराये जा रहे बाढ़ संघर्षात्मक कार्यों में लापरवाही, कर्त्तव्यहीनता, उच्चाधिकारियों के आदेशों का उल्लंघन करने आदि कतिपय प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए विभागीय अधिसूचना संख्या 905 दिनांक 01.08.13 द्वारा निलंबित किया गया। निलंबनोपरान्त बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 17 (2) के तहत विहित रीति से विभागीय संकल्प संख्या 1489 दिनांक 10.12.13 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

विभागीय कार्यवाही के संचालन पदाधिकारी अपने पत्रांक 322 दिनांक 31.03.14 द्वारा जॉच प्रतिवेदन समर्पित किया जिसकी समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षोपरान्त संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत/असहमत होते हुए आरोप संख्या 01, 02, 03 एवं 04 के लिए विभागीय पत्रांक 1733 दिनांक 19.11.14 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गई।

श्री सिंह अपने पत्रांक शून्य दिनांक 17.12.2014 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया जिसकी समीक्षा सरकार के स्तर पर की गई। समीक्षा में पाया गया कि आरोप संख्या–01, आदेश की अवहेलना करते हुए मनमाने ढंग से खाली सिमेन्ट बोरा निर्गत करने के आरोप को प्रमाणित नहीं माना जा सकता है। परन्तु दो संवेदक को 3000 से 7000 अदद खाली सिमेन्ट बोरा लगभग प्रतिदिन निर्गत किया जाना सत्यापित होता है। आरोप संख्या–02 एजेण्डा संख्या 118/56 के तहत कटाव निरोधक कार्य विशिष्टि एवं गुणवत्ता के अनुरूप नहीं करने के आरोप को प्रमाणित नहीं माना जा सकता है, परन्तु उच्चाधिकारी के निदेशानुसार कार्य में पाये गये त्रुटियों के सुधारोपरान्त अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित नहीं करने के लिए दोषी माना जा सकता है। आरोप संख्या–03 चम्पारण तटबंध के 20.70 मील के पास लगभग 02 कि0 मी0 में अनाधिकृत रूप से अन्य विभाग द्वारा तटबंध के स्लोप से मिट्टी काटकर तटबंध को शीर्ष पर सड़क निर्माण कराये जाने का ससमय सूचना नहीं देने के लिए दोषी माना जा सकता है। आरोप संख्या–04 गंडक नदी वाले तट पर कराये गये कटाव निरोधक कार्य के तहत परक्यूपाईन लेईंग का गलत सूचना देने को साक्ष्य के अभाव में प्रमाणित नहीं माना जा सकता है।

अतएव सम्यक समीक्षोपरान्त आरोपी सहायक अभियंता के विरूद्ध आरोप संख्या–01 एवं 02 का आंशिक तथा आरोप संख्या–03 को प्रमाणित पाया गया। उक्त प्रमाणित आरोपों के लिए श्री सिंह को निलम्बन से मुक्त करते हुए निम्नदंड देने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया –

(i) निन्दन वर्ष 2013–14

(ii) एक वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

(iii) निलम्बन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अलावे कुछ भी देय नहीं होगा।

उक्त निर्णय के आलोक में श्री सिंह, सहायक अभियंता को निम्न दंड संसूचित किया जाता है।

(i) निलंबन से मुक्ति, किन्तु निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता के अलावा कुछ देय नहीं होगा।

(ii) निन्दन वर्ष 2013–14

(iii) एक वेतन वृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
गजानन मिश्र,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 457-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in